भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4555

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"चार्जिंग स्टेशन"

4555. श्री रोड़मल नागर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की त्वरित विनिर्माण योजना के अंतर्गत स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रदूषण मुक्त वाहनों के लिए प्रदान की जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में प्रदूषण मुक्त वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचनानुसार, फेम-।। के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए संस्वीकृत कुल 235 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में से 23.03.2023 की स्थिति के अनुसार इंदौर शहर में 2 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रचालनरत हैं।

(ख) से (घ) : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में शुरु की और फिलहाल फेम इंडिया स्कीम का चरण-।। मध्यप्रदेश सहित अखिल भारतीय आधार पर 01 अप्रैल,2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रूपए है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग अवसंरचना सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोक्ताओं में रेंज संबंधी चिंता का समाधान हो सके।

साथ ही, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए निम्नांकित कदम उठाए हैं-

i. 11 जून,2021 से दुपहियों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है जिसके लिए वाहन लागत सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहियों की लागत अंतर्दहन इंजन वाले दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई,2021 को अनुमोदित किया है। बैटरी की कीमत कम होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में कवर किए गए हैं जिसे पांच वर्ष के लिए 25,938 करोड़ रूपए के बजट परिव्यय के साथ 15 सितंबर,2021 को अनुमोदित किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर न लेने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

साथ ही, 24.03.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम,चरण-।। के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य हेतु कुल 33,484 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वाहन प्रकार	**मध्यप्रदेश (मॉडल)**	**कुल**
दुपहिया	L1	18425
दुपहिया	L2	10087
तिपहिया	ई-कार्ट	137
तिपहिया	ई-रिक्शा	4272
तिपहिया	L5M	257
तिपहिया	L5N	275
चौपहिया	M1	31
	कुल	33484

***